फा.सं.13011/2/2020-सीबीए 2-पार्ट (2)/पीएंडएस-II

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 नवंबर, 2021

<u>आदेश</u>

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर, केंद्र सरकार ने कोयले की बिक्री के लिए प्रासंगिक अधिनियम के तहत पहचानी गई कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यप्रणाली में निम्नलिखित संशोधन को मंजूरी दी है, जैसाकि नीचे पैरा 2 में उल्लिखित हैं:

2. उपरोक्त विषय पर दिनांक 28.05.2020 के आदेश (प्रति संलग्न) के पैरा 2.1.4 (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

कोयले का गैसीकरण या द्रवीकरण: यदि सफल बोलीदाता कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए या तो अपने स्वयं के संयंत्र (संयंत्रों) या अपनी होल्डिंग, सहायक कंपनी, संबद्ध, सहयोगी के संयंत्र में उत्पादित कोयले का उपभोग करता है या कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण प्रक्रिया के लिए कोयले की बिक्री करता है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन वार्षिक आधार पर गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उपभोग किए गए कोयले की कुल मात्रा या बेचे गए अथवा दोनों पर सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत पर 50% की छूट दी जाएगी:

(i) उस वर्ष के लिए अनुमोदित खनन योजना के अनुसार निर्धारित कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उपभोग या बेचा जाएगा;

(ii) कि गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए कोयले की खपत या बिक्री अथवा दोनों की मात्रा के लिए कोयला नियंत्रक का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

3. उपर्युक्त संशोधन कोयले की बिक्री के लिए नीलामी के चल रहे और क्रमिक दौरों के लिए लागू होगा।

4. दिनांक 28.05.2020 के आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोक्त

(ब्यासदेव नाइक)

उप निदेशक (पीएंडएस-II)

दूरभाष. 23070378

प्रति

1. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय
2. संयुक्त सचिव (पीएंडएस), कोयला मंत्रालय
3. निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि:

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (कोयला) के पीएसओ
3. अपर सचिव (कोयला) के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव (एमएन) एवं एनए के प्रधान निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव (पी एंड एस) के प्रधान निजी सचिव
6. उप सचिव (एनए)/उप सचिव (पीएंडएस-II/पी एंड एस-I)
7. एसटीडी, एनआईसी, कोयला मंत्रालय...... मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।